

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर वल्लभनगर जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्रीमती लेहरी बाई
किस्म मुकदमा :- 212 R.T.A.

विपक्षी :- श्री हरिकिशन सुथार
पत्रावली संख्या :- 45 / 15 (प्रा.पत्र)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 28.11.2019 – पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर मूल वाद का भी अवलोकन किया गया जिससे जाहिर आया की मूल वाद दिनांक 16.06.2017 को प्रार्थीया द्वारा विद्रो कर लिया गया इस कारण अब इस पत्रावली को चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा। अतः मूल वाद का निस्तारण दिनांक 16.06.2017 को हो जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. ड्रॉप किया जाकर इस स्टेज पर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।</p> <p>(शैलेश सुराणा) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर</p>	

